

प्रॉपर्टी के विवाद में हुई थी बजरंगी की हत्या

- -अजीतगंज थाना बाबूपुरवा के प्लाट को लेकर चल रहा था विवाद
- -29 दिसंबर की दोपहर को परसौली में हुआ था बजरंगी पर हमला
- -गंभीर रूप से घायल बजरंगी की इलाज के दौरान हुई थी मौत
- -15 हजार का इनामी और शातिर किस्म का अपराधी है दीपक
- -पुलिस ने तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार करके खोला हत्याकांड

कानपुर: बजरंगी उर्फ वीरु मौर्या की हत्या थाना बाबूपुरवा के अजीतगंज स्थित प्लाट को लेकर चल रहे विवाद के कारण हुई थी। 29 दिसंबर को हुई मारपीट में घायल बजरंगी की अगले दिन मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाकर मामले की जांच शुरु की तो पता चला कि हत्याकांड और विवाद में शातिर किस्म और 15 हजार का इनामी दीपक कनौजिया शामिल है। डीसीपी साउथ ने अपनी स्पेशल टीमों को लगाकर हत्या कांड में शामिल तीनों आरोपियों को दबोच लिया।

मृतक बजरंगी उर्फ वीरु मौर्या प्लंबरिंग करने के साथ ही प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। इसी बीच थाना बाबूपुरवा के अजीतगंज स्थित प्लाट जो कि राजू अग्रवाल का है। राजू भी शातिर किस्म का अपराधी है। इसी प्लाट को लेकर बजरंगी उर्फ वीरु मौर्या का राजू और दीपक से विवाद चल रहा था। 29.12.2022 को परसौली में दोनों पक्षों के बीच विवाद और मारपीट हुई। जिसमें बजरंगी घायल हो गया था। इस मामले में थाना बिधनू पर मु030सं0 612/2022 धारा 308/326/325 भादवि बनाम अज्ञात के विरुध्द पंजीकृत पंजीकृत किया गया गया था। इलाज के दौरान बजरंगी उर्फ वीरु मौर्या की मृत्यु हो गयी विवेचना क्रम में उक्त अभियोगो में धारा 302/201 भादवि मे परिर्वतित कर वांछित अभि0गणों की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने मुकदमें में वांछित अभियुक्तगण- 1. दीपक कनौजिया पुत्र स्व.जीवनलाल नि0 भैरोघाट सिविल लाइन थाना कोहना कानपुर नगर 2. राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजू गर्ग पुत्र स्व.शंकर लाल नि0 गोविन्द नगर थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर 3. . योगेश उर्फ पंकज सविता पुत्र चक्रपाल सविता नि0 परसौली थाना विधनू कानपुर नगर अस्थाई पता नि0 ग्राम मुईआ थाना घाटमपुर को रविवार को तुलसियापुर तिराहे से आगे परसौली भट्टा के पास थाना विधनू से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1.दीपक कनौजिया पुत्र स्व.जीवनलाल उम्र 36 वर्ष नि0 हाल पता म0न0 27 सकरापुर थाना विधनू कानपुर नगर स्थाई पता 6/18बी भैरोघाट थाना कोहना कानपुर नगर

आपराधिक इतिहास –

- 1.मु०अ०सं० ९१/२०१० धारा ३४/३०२/३९४/४०६/४११ भादवि थाना कोहना कानपुर नगर
- 2.मु०अ०सं० ९८/२०१० धारा २२३/२२४ भादवि थाना कोहना कानपुर नगर
- 3.मु0अ0सं0 102/2010 धारा 307 भादवि थाना कोहना कानपुर नगर
- 4.मु०अ०सं० १०३/२०१० धारा ३/२५/२७ आर्म्स एक्ट थाना कोहना कानपुर नगर
- 5.मु0अ0सं0 139/10 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना कोहना कानपुर नगर
- 6.मु०अ०सं० १५४/२००४ धारा ३०७ भादवि थाना कोहना कानपुर नगर
- 7.मु0अ0सं0 156/2004 धारा ४/५ विस्फोटक अधि0 थाना कोहना कानपुर नगर
- 8.मु0अ0सं0 198/2010 धारा 379/411 भादवि थाना स्वरुपनगर कानपुर नगर
- 9.मु0अ0सं0 २१७/२००३ धारा ३७९/४११ भादवि थाना स्वरुपनगर कानपुर नगर
- 10.मु0अ0सं0 343/2007 धारा 379/411 भादवि थाना स्वरुपनगर कानपुर नगर
- 11.मु०अ०सं० ३५२/२००७ धारा ३७९/४११ भादवि थाना स्वरुपनगर कानपुर नगर
- 12.मुअ०सं० ३५३/२००७ धारा ३७९/४११/४१४० भादवि थाना स्वरुपनगर कानपुर नगर
- 13.मु०अ०स० ३६०/२०२१ धारा ३८०/४११४२७७ भादवि थाना नौबस्ता कानपुर नगर
- 14.मु०अ०सं० 9८/२०२१ धारा ३८०/४११/४५७ भादवि थाना नबावगंज कानपुर नगर
- 15.मु०अ०सं० ९७७/२०१८ धारा १८/२० स्वापक ओषधि अधि० थाना कोहना कानपुर नगर
- 16.मु0अ0सं0 921/2016 धारा 380/411/457 भादवि थाना चकेरी कानपुर नगर
- 17.मु०अ०सं० ९८/१८ धारा ४२०/४६८ भादवि थाना कोहना कानपुर नगर

2.राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजू गर्ग पुत्र स्व.शंकर लाल उम्र करीब 59 वर्ष नि0 97/98 संजय टावर गोविन्द नगर थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर

आपराधिक इतिहास-

- 1. मु0अ0सं0 80/2000 धारा 2/3 यू.पी. गैगेस्टर एक्ट थाना सरोजनी नगर लखनऊ
- 2.मु०अ०सं० १६२/२००० धारा ३२३/५०४/५०६ भादवि थाना फजलगंज कानपुर नगर
- 3.मु0अ0सं0 292/2011 धारा 323/504/506 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद इलाहाबाद

- 4. मु०अ०सं० २३३/२०११ धारा ५०६ भादवि थाना कोतवाली कानपुर नगर
- 5.मुअ0सं0 211/2014 धारा 302/120बी भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व 7 सीएल ए एक्ट
- 6. मु०अ०सं० 586/2014 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर
- 7.मु0अ0सं0 179/2015 धारा 307/120बी भादवि थाना किदवईनगर कानपुर नगर
- 8.मुअ0सं0 3964/2013 धारा 420/457/469/471/120बी 34 भादवि थाना भडौरा जनपद छपरा बिहार
- 9.एनसीआर नं0 65/2016 धारा 506 भादवि थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर
- 10. एनसीआर न0 40/2017 धारा 504/506 भादवि थाना किदवईनगर कानपुर नगर
- 11. मु0अ0सं0 304/2016 धारा ¾ यूपी. गुण्डा अधि0 थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर
- 12.एनसीआर नं0 07/2018 धारा 504/506 भादवि थाना किदवईनगर कानपुर नगर
- 13.मु0अ0सं0 305/2015 धारा 461/379/427/120बी भादवि थाना भढौरा सारण बिहार
- 15. मु0अ0सं0 131/2018 धारा ¾ यूपी0 गुण्डा अधि0 थाना किदवईनगर कानपुर नगर
- 3. योगेश उर्फ पंकज सविता पुत्र चक्रपाल सविता उम्र करीब 28 वर्ष नि0 परसौली थाना बिधनू कानपुर नगर स्थाई पता नि0 ग्राम मुईआ घाटमपुर कानपुर नगर

आपराधिक इतिहास - 1.मु०अ०सं० 612/22 धारा 308/326/325 भादवि तरमीम धारा 302 भादवि थाना बिधनू कमिश्ररेट कानपुर नगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में- थानाध्यक्ष योगेश कुमार सिंह, उ0िन0 अरविन्द कुमार सिंह, उ0िन0 अरविन्द कुमार, उ0िन0 मुकेश कुमार सिंह, उ0िन0 यूटी0 शिवा सिंह, उ0िन0यूटी0 सेटू सिंह, हे0का0 मिथलेश शुक्ला, हे0का0 राष्ट्रपाल, हे0का0 राजिकशोर भदौरि, हे0का0 राजेन्द्र कुमार

सर्विलान्स टीम- उ०नि राकेश सिंह प्रभारी सर्विलान्स सेल दक्षिण, उ०नि० सनिक मलिक, हे०का० शिववीर सिंह, का० अक्षय कुमार, का० मयक यादव, का० शोभित

स्वाट टीम- उ0नि0 सुखराम सिंह रावत प्रभारी स्वाट टीम दक्षिण, उ0नि0 अजय गंगवार,हे0का0 धीरेन्द्र सिंह, हे0का0 अजय सिंह सेगर,हे0का0 अकुर भदौरिया,का0 तेजप्रताप सिंह